भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3808

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025/03 चैत्र 1947 (शक) को दिया जाना है

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ

3808. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की राष्ट्रीय पीठ के सभी सदस्यों की नियुक्ति और इसे चालू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ख) उन राज्यों का ब्यौरा और संख्या क्या है जिन्होंने अभी तक जीएसटीएटी की राज्य पीठों को प्रारंभ नहीं किया है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान लंबित जीएसटी अपीलों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार ने सभी राज्यों में जीएसटीएटी की राज्य पीठों की स्थापना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (जीएसटीएटी) के प्रधान पीठ एवं राज्य पीठ अधिसूचित किए गए हैं। अध्यक्ष, जीएसटीएटी को दिनांक 06.05.2024 को नियुक्त किया गया है। इन्हें जल्द कार्यरत करने की प्रक्रिया चल रही है।
(ग): जीएसटीएटी ने अपील स्वीकार करना प्रारंभ नहीं किया है।
(घ): पीठों के गठन के बाद, जीएसटीएटी संचालन शुरू कर देगा।

*****